

राष्ट्रीय महिला आयोग

दिनांक 10 फरवरी, 2025 को आयोजित आयोग की 242वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1. सुश्री विजया किशोर रहाटकर, अध्यक्ष
2. सुश्री अर्चना मजूमदार, सदस्य
3. सुश्री मीनाक्षी नेगी, सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे :

1. श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव
2. सुश्री शिवानी दे, उप सचिव
3. सुश्री शिवानी तोमर, अवर सचिव
4. सुश्री शालिनी रस्तोगी, अवर सचिव
5. श्री आशुतोष पांडे, अवर सचिव
6. श्री बीनू पीटर, वरिष्ठ विश्लेषक
7. श्री मनमोहन वर्मा, विधि अधिकारी
8. सुश्री कंचन खट्टर, वरिष्ठ समन्वयक
9. श्री अतुल सिन्हा, वरिष्ठ प्रोग्रामर

आयोग की 242वीं बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची मदों पर एक-एक करके विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

कार्यसूची मद संख्या 242//1:

दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को आयोजित आयोग की 241वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 25.10.2024 को आयोजित आयोग की 241वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधित पक्षों को परिचालित किया गया। चूंकि, इस संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आयोग द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई।

कार्यसूची मद संख्या 242//2

दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को आयोजित आयोग की 241वीं बैठक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

आयोग की 241वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को सदस्य सचिव द्वारा एक-एक करके स्पष्ट किया गया तथा इसको आयोग द्वारा नोट किया गया। आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पीएमआरसी प्रकोष्ठ असंगठित क्षेत्र में महिलाओं पर अनुसंधान परियोजना तथा “भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के प्रभाव आकलन: पंचायती

राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका का आकलन” विषय पर माननीय अध्यक्षा और सदस्यों के कार्यालय को एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करेगा।

कार्यसूची मद संख्या 242/1/3

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की आयोग द्वारा पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद संख्या 242/1/4

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग द्वारा नोट किया गया।

कार्यसूची मद संख्या: 242/1/5

दिनांक 06 जनवरी, 2025 को केंद्रीय कक्ष, भारतीय संसद, नई दिल्ली में पंचायती राज की 500 अनुसूचित जनजाति महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम “शी इज़ ए चेंज मेकर - पंचायत से संसद 2.0” आयोजित किया गया था।

इस संबंध में आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किया गया :

1. 50,65,690 /- (पचास लाख पैंसठ हजार छह सौ नब्बे रुपये मात्र) के लिए कार्योत्तर प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति।
2. कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और लेह राज्यों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों/वाउचरों के आधार पर लेखा अनुभाग द्वारा सत्यापन के अध्यधीन वास्तविक व्यय के भुगतान के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन।
3. पंचायती राज विभाग/संबंधित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान" (एसआईआरडी) को प्रथम किस्त के रूप में 27,80,314/- (सत्ताईस लाख अस्सी हजार तीन सौ चौदह रुपये मात्र) जारी करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।

कार्यसूची मद संख्या 242/1/6

राज्य महिला आयोगों के सहयोग से “जेंडर आधारित हिंसा” विषय के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय निहितार्थ;

आयोग द्वारा 7 राज्य महिला आयोगों (आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड) के सहयोग से 'जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध सक्रियता के 16 दिन' अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 12,72,500/- रुपये जारी करने के लिए विचार-विमर्श किया गया और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 242/1/7

आयोग में जनशक्ति (डाटा एंट्री ऑपरेटर) उपलब्ध कराने के लिए मेसर्स हर्षनाथ ह्यूमन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए अनुबंध को दिनांक 01.11.2024 से 31.01.2025 तक तीन महीने की अवधि के लिए विस्तारित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन

आयोग द्वारा मेसर्स हर्षनाथ ह्यूमन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एफ-301, प्लॉट नंबर 8-ए, तमन्ना हाउस, अंबा बारी, अशोक नगर, जयपुर को रा.म.आ. में जनशक्ति (डाटा एंट्री ऑपरेटर) नियुक्त करने के लिए दिनांक 01.11.2024 से 31.01.2025 तक तीन महीने की अवधि के विस्तार के लिए विचार-विमर्श किया गया और कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया जिसमें नवंबर और दिसंबर, 2024 और जनवरी, 2025 के महीनों के दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर को वेतन के भुगतान के लिए 20,25,000/- रुपये (बीस लाख और पच्चीस हजार रुपये मात्र) का अनुमानित व्यय हुआ है।

कार्यसूची मद संख्या 242/1/8

आयोग में जनशक्ति (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की नियुक्ति के लिए दिनांक 01.02.2025 से 31.01.2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स एस्पायरेंट मैनेपावर सर्विस को नया अनुबंध प्रदान करने का अनुमोदन

आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए रा.म.आ. में जनशक्ति (25 डाटा एंट्री ऑपरेटर) उपलब्ध कराने के लिए मेसर्स एस्पायरेंट मैनेपावर सर्विस लिमिटेड, एफ/एफ बी-77, सेक्टर-7, जे.जे. कॉलोनी, पालम कॉलोनी, मेन दादा देव रोड, पालम गांव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली - 110 045 को अनुबंध प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श किया गया और 96,79,369.21/- रुपये (छियानवे लाख उनासी हजार तीन सौ उनहत्तर रुपये और इक्कीस पैसे मात्र) वार्षिक की अनुमानित लागत के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 242/1/9

वर्ष 2024-25 के लिए विधि समीक्षा

आयोग द्वारा इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया :

1. भारत के उत्तर-1, उत्तर-2, पूर्व-1, पूर्व-2, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य क्षेत्रों में **43,50,810/- रुपये** के कुल अनुमानित बजट के लिए 'महिलाओं को प्रभावित करने वाले साइबर कानून' विषय पर क्षेत्रीय विधि समीक्षा आयोजित करने के लिए अनुमोदन।
2. भारत के उत्तर-1, उत्तर-2, पूर्व, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य क्षेत्र में **36,64,550 रुपये** (कार्यसूची के अनुसार बजट विवरण) के कुल अनुमानित बजट के लिए 'जेलों में महिलाओं से संबंधित कानून' विषय पर विधि समीक्षा आयोजित करने के लिए अनुमोदन।

3. नई दिल्ली में दो अंतिम परामर्श आयोजित करने के लिए **20 लाख रुपये** के अस्थायी बजट अर्थात् प्रत्येक विषय के लिए 10 लाख रुपये का अनुमोदन।

कार्यसूची मद संख्या 242/II/10

दिनांक 06.01.2025 को आयोजित पंचायत से संसद 2.0 विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय संगोष्ठी

आयोग द्वारा इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा दिनांक 06.01.2025 को पंचायत से संसद 2.0 विषय पर आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में नीचे दिए अनुसार **29,16,024/- रु.** (केवल उनतीस लाख सोलह हजार चौबीस रुपए) के लिए कार्योत्तर अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्रदान की गई :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में) जीएसटी सहित
1.	विभिन्न राज्यों से सांसद द्वारा नामित प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता	4,87,702/-
2.	दिनांक 04/01/2025 से 07/01/2025 तक प्रतिभागियों के लिए बस और टैम्पू ट्रेवलर्स की बुकिंग के लिए नीतू ट्रेवल्स को भुगतान	5,10,720/-
3.	स्मृति चिन्हों की आपूर्ति के लिए भावना एंटरप्राइजेज को किया गया भुगतान	1,00,305/-
4.	गोल चक्करों (राउंड अबाउट), फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मेपल माइक आदि के लिए एक्सिबेक्स इवेंट्स को किया गया भुगतान	1,77,999/-
5.	पोंचू, हेम्पर बैग, पेन और पैड आदि की आपूर्ति के लिए डायनेमिक ग्रीन इवेंट्स को किया गया भुगतान	6,67,656/-
6.	राष्ट्रपति भवन में बैनर, बैकड्रॉप आदि के शुल्क के लिए रुद्र इवेंट्स को किया गया भुगतान	96,642/-
7.	विविध व्यय (शॉल की खरीद, टैम्पो का किराया, उपहार बैग, प्रधानमंत्री (पीएम) संग्रहालय टिकट, गुलाब स्टिक, अधिकारियों के लिए परिवहन व्यय, भोजन पैकेट आदि)	3,25,000/-
8.	सिक्वोरशील्ड सिक्वोरिटी प्राइवेट लिमिटेड को किया जाने वाला भुगतान	5,50,000/- (अनंतिम)
	कुल:-	29,16,024/-

कार्यसूची मद संख्या 242/II/11

दिनांक 06.01.2025 को पंचायत से संसद 2.0 विषय पर आयोजित संगोष्ठी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अंशदान

आयोग द्वारा इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया और दिनांक 06.01.2025 को पंचायत से संसद 2.0 विषय पर आयोजित संगोष्ठी के संबंध में **27,38,891/- रु.** (सत्ताईस लाख अड़तीस हजार आठ सौ इक्यानवे रुपए मात्र) के व्यय के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 242/II/12

दिनांक 31.01.2025 को आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस समारोह

आयोग द्वारा इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया और कार्यसूची मद में दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 31.01.2025 को आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह के संबंध में 36,13,541/- रु. (छत्तीस लाख तेरह हजार पांच सौ इकतालीस रुपये मात्र) के व्यय के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 242/III/1

वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन (बीई), वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही तक प्राप्त कुल अनुदान, वर्ष 2024-25 के लिए तीसरी तिमाही (अप्रैल-दिसंबर) तक किए गए प्रगतिशील व्यय और दिनांक 31.12.2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष

आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन (बीई), वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही तक प्राप्त कुल अनुदान, वर्ष 2024-25 के लिए तीसरी तिमाही (अप्रैल-दिसंबर) तक किए गए प्रगतिशील व्यय और दिनांक 31.12.2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष पर विचार-विमर्श किया गया। आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्राक्कलन (बीई) बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया गया।

कार्यसूची मद संख्या 241/III/2

अक्टूबर, 2024 से जनवरी, 2025 तक के महीनों के लिए शिकायत एवं जाँच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग द्वारा आयोग में प्राप्त शिकायतों एवं जांच के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर, 2024 से जनवरी, 2025 तक) पर विचार-विमर्श किया गया। आयोग द्वारा माह के दौरान सुनवाई की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया।

कार्यसूची मद संख्या 242/III/3

“कोलकाता बलात्कार-हत्या” मामले में जांच

आयोग द्वारा कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में की गई जांच का उल्लेख किया गया और इस मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय को लिखने का निर्देश दिया। आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के मामलों और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) से संबंधित आंकड़े दर्शाते हुए एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

ह./-

(मीनाक्षी नेगी)
सदस्य सचिव

ह./-

(विजया किशोर रहाटकर)
अध्यक्ष